हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय,श्रीनगर गढ़वाल
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 हेतु दिशा निर्देश

अत्यन्त आवश्यक निर्देश (Important instruction)

अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका में अंकित निर्देशों एवं प्रवेश नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। बी.एड. कक्षा में प्रवेश के समय अभ्यर्थी का स्नातक/परास्नातक होना अनिवार्य है।

पात्रता (Eligibility)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा जारी नवीनतम् प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अन्तर्गत बी.एड. कक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् हैः–

(अ)''बी.एड. कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उर्त्तीण होना आवश्यक है, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 44.9 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। इसी प्रकार अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में स्नातक अथवा परास्नातक एवं इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 49.5 प्रतिशत को 50 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित विषय की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता धारक वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पात्र होगें।

आरक्षण (Reservation)

1) **बी.एड. कक्षा में प्रवेश के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के परिसरों (श्रीनगर/टिहरी/पौड़ी) में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा, तथा अन्य सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण लागू होगा।**
2) **विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (श्रीनगर/टिहरी/पौड़ी –स्ववित्त पोषित) में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।**
3) **उत्तराखण्ड प्रदेश की अधिसूचना संख्या 371/XXX (2)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010 में निम्नलिखित अन्य पिछड़ी जातियों को उत्तराखण्ड प्रदेश में आरक्षण दिया जायेगा।**

उत्तराखण्ड प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों की सूची–

1.अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय, 2. अरख, अर्कवंशीय, 3. काछी, काछी–कुशवाहा, शाक्य 4. कहार, कश्यप 5. केवट या मल्लाह, निषाद, 6. किसान, 7. कोइरी, 8. कुम्हार, प्रजापति, 9. कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी–मल्ल, कुर्मी –सैंथवार,10. कम्बोज 11.कसगर, 12. कुजडा या राइन, 13. गोसाई, 14. गूजर, 15. गड़ेरिया, पाल, बघेल, 16. गद्दी, घोषी 17. गिरी, 18. चिकवा (कस्साब) कुरैशी, चक 19.छीपी, छीपा 20. जोगी, 21.झोजा, 22. दफाली, 23. तमोली, बरई, चौरसिया, 24.तेली, सामानी, रोगनगर ,साहू, रौनियार, गंधी, अर्राक 25. दर्जी. इदरीसी, काकुत्स्थ 26. धीवर, 27. नक्काल 28. नट 29. नायक 30. फकीर 31. बंजारा, रंकी, मुकेरी, गुकेरानी 32 बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान 33. बारी, 34 बैरागी 35. विन्द, 36. बियार, 37. भर, राजभर 38. भुजीया, भडभूजा, भूंज, कांदू कशौधन 39. भठियारा, 40. माली, सैनी 41.मनिहार, कचेर, लखेरा 42. मुराव, या मुराई, मौर्य 43, मोमिन (अंसार) 44. मिरासी 45.मुस्लिम कायस्थ 46 नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण) 47.मारछा 48.रंगरेज, रंगवा 49. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी–राजपूत, 50 लोहार, सैफी, 51, लोनिया, नोनिया, गोले–ठाकुर, लोनिया–चौहान,

52, सोनार, सुनार, स्वर्णकार 53. स्वीपर, 54.हलवाई, मोदनवा, 55.हज्जाम, (नाई), सलमानी, सविता, श्रीवास, 56 राय सिक्ख, 57. सक्का, भश्ती, भिश्ती– अब्बासी, 58.धोबी, 59. कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार, 60.नानबाई, 61 मीर, शिकार, 62 शेख, सरवरी(पिराई) पीराही 63. मेव, मेवाती, 64. कोष्टा/कोष्टी, 65. रोड़, 66. खुमरा, संगतराश, हंसीरी, 67. मोची, 68 खागी. 69. तंवर, सिघाड़िया 70. कतुआ, 71. महीगीर 72 दांगी. 73. धाकड़, 74 गाड़ा, 75 तंतवा 76.जोरिया, 77. पटवा, पटहारा, पटेहारा, देववंशी, 78. जाट, 79. कलाल, कलवार, कलार, 80. कुथलिया बोरा, 81. धुत बाहती/चांहग, 82. गोरखा समुदाय, 83. रवांल्टा/जौनपुरी समुदाय 84. महर/गूजर महरा

अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि ऑनलाईन आवेदन –पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जायेंगे अभ्यर्थी आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से ही इस प्रकार भेजें कि दिनांक 12 अप्रैल 2017 तक अवश्य विश्वविद्यालय कार्यालय में पहुंच जायें।

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति संलग्नकों सहित विश्वविद्यालय भेजे जाने हेतु लिफाफे पर **'' बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 हेतु आवेदन'' एवं प्रवेश परीक्षा हेतु चयनित शहर का नाम, वर्ग (कला/वाणिज्य/विज्ञान) श्रेणी(सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग) तथा महिला/पुरुष अंकित कर कोर्डिनेटर, बी.एड.प्रवेश परीक्षा 2017 हे.न.ब.ग.विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर (गढ़वाल) को** प्रेषित करना होगा, जिस पर प्रेषक का नाम व पता भी अंकित होगा।
2. बी.एड. प्रवेश परीक्षा आवेदन को सावधानी पूर्वक भरें तथा सम्बन्धित वर्ग एवं श्रेणी पर तदनुसार अंकित करें। किसी भी त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन –पत्र में दिये गये प्रारुप के अनुसार ही संबंधित प्रमाण –पत्र दें।
4. पूर्ण रुप से भरा हुआ आवेदन पत्र कोर्डिनेटर, बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017,हे.न.ब.गढवाल विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) को उपरोक्त निर्धारित तिथि तक अवश्यक पहुंच जाना चाहिये। परीक्षा शुल्क चालान की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।
5. ऑनलाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का आवेदन–पत्र मान्य नहीं होगा।
6. प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन पत्र विधिवत रुप से भरकर हार्ड कॉपी सभी प्रमाण–पत्रों सहित संलग्न कर, लिफाफे के अन्दर रखकर उपरोक्त निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से ही प्रेषित करें। विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कोई भी अधिभार अंक संबधी अथवा कोई भी प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. **सभी विवरणों से संबंधित प्रमाण–पत्रों/अंक–पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य हैं इन सभी प्रमाण–पत्रों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होने चाहिये। अपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर न होने पर भी आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।**
8. बी.एड. प्रशिक्षण में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं है। किसी भी प्रशिक्षाणार्थी को स्थानान्तरण की अनुमति नहीं होगी। जिस महाविद्यालय में प्रवेश आवंटित होगा, उसी महाविद्यालय से बी.एड. पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। अतः कोई प्रशिक्षाणार्थी स्थानान्तरण हेतु आवेदन न करें।
9. किसी भी अभ्यर्थी का वर्ग (Category) परिवर्तित नहीं होगी, अभ्यर्थी ने जिस वर्ग को आवेदन पत्र पर अंकित किया है उसका वर्ग वही रहेगा।
10. अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपने अल्पसंख्यक समुदाय का वर्ग भी लिख दें यथा जैन, बौद्व, मुस्लिम, ईसाई आदि।

11. बी.एड. कक्षा में प्रवेश केन्द्र सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा बनाये गये नियमों अन्तर्गत किया जायेगा उन्हें आवदन पत्र भरने से पूर्व ध्यान से पढ़ कीजिये।

12. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र जाली पाये गये तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द करने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकारी होगा तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। किसी भी दशा में शुल्क वापस नहीं किया जायेगां

13. **यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन किया है और अपने आवेदन –पत्र के साथ तत्तसम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया है तो उसका आवेदन–पत्र निरस्त किये बिना समान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायेगा।**

14. प्रत्येक अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के समय निम्न विश्वविद्यालय परिसरों में प्रवेश के लिए वरीयता के अनुसार तीनों परिसरों के कोड भी अंकित करने होंगे। विश्वविद्यालय किसी भी परिसर में प्रवेश देने के लिये स्वतंत्र होगा

	परिसर का नाम	कोड संख्या	सीटों की संख्या
1	बिड़ला परिसर, श्रीनगर–गढ़वाल	01	100
2	स्वामी रामतीर्थ परिसर, बादशाहीथौल ,नई टिहरी	02	50
3	डॉ बी.जी.आर. परिसर पौड़ी (स्ववित्त पोषित)	03	50

अधिभार अंक (**Weightage Marks**)

1. विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (श्रीनगर/टिहरी/पौड़ी) में बी.एड. कक्षा में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों की वरीयता (मैरिट) के आधार पर होंगे। इन परिसरों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश केवल निम्न प्रमाण –पत्र के सम्मुख अंकित अधिभार अंक देय होंगे।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में प्रवेश हेतु केवल निम्न प्रमाण पत्रों के ही अधिकतम पांच प्रतिशत अधिभार अंक देय होगें।

अतिरिक्त अंक (Weightage) :–

(क) एन.एस.एस.–बी प्रमाणपत्र या 240 घन्टे + दो विशेष शिविर –1%, राष्ट्रीय एकीकरण

शिविर/गणतत्रं दिवस परेड–2% (अधिकतम–2%)

(ख) एन.सी.सी.–बी प्रमाणपत्र–1%, एन.एस.एस./एन.सी.सी.–सी प्रमाणपत्र–2% गणतंत्र दिवस परेड (राष्ट्रीय) में प्रतिभाग–3%, राज्य/देश के पुरस्कृत एन.सी.सी. कैडेट–3% (अधिकतम–3%)

(ग) भा.वि.सं. जोनल द्वारा आयोजित युवा महोत्सव के अंतर्गत चयनित छात्र–2%, राष्ट्रीय स्तर–3% (अधिकतम–3%)

(घ) भा.वि.सं. या संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त व्यक्तिगत–प्रथम–4%, द्वितीय–3% और तृतीय–2% और टीम–प्रथम–3%, द्वितीय–2%, और तृतीय–1% (अधिकतम–4%)

(ड.) राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता/सांस्कृतिक/प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता–व्यक्तिगत प्रथम–4%, द्वितीय–3%, तृतीय–2%, और टीम प्रथम–3%, द्वितीय 2% और तृतीय–1% (अधिकतम–4%)

विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालय/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को विवरणिका के पृष्ठ में अंकित मानकों/नियमों के अनुसार अधिभार अंकों का लाभ दिया जायेगा।

	अधिभार अंकों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	**प्रति हस्ताक्षरित हेतु सक्षम अधिकारी**
1.	एन.सी.सी. का सी एवं बी तथा जी प्रमाण–पत्र	एन.सी.सी. निदेशालय रक्षा मंत्रालय का प्रमाण पत्र
2.	एन.एस.एस. के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा दो वर्षो में आवश्यक रुप से होनी चाहिए	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलपति द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
3.	किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय वि.वि. खेलकूद प्रोतियोगिता।	सबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य अधिकारी खेलकूद निदेशक का प्रमाण–पत्र /क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
4.	किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्षेत्रीय वि.वि. खेदकूद प्रतियोगिता	संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य अधिकारी खेलकूद निदेशक का प्रमाण –पत्र / क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष
5.	अन्तर विशविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता।	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति या क्रिड़ा परिषद के अध्यक्ष।
6.	राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता	शासन से सम्बन्धित खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा
7.	स्काउट्स गाइडस का पुरस्कार/राज्यपाल पुरस्कार	राष्ट्रपति /राज्यपाल/ कमिश्नर स्काउट्स एवं गाइडस।
8.	धुव्रपद या गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त।	राष्ट्रपति /राज्यपाल/ कमिश्नर स्काउट्स एवं गाइडस।
9.	पुलिस	पुलिस– अधीक्षक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र
10.	होमगार्ड, बी.एस.एफ, सी.आर.पी.एफ, एस.एस.बी, आई.टी.बी.पी. आदि	वरिष्ठ पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
11.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राविधिक संस्थानों के शिक्षक का पाल्य एवं वार्ड तथा कर्मचारी वार्ड	कुलसचिव/संकायाध्यक्ष /परिसर निदेशक /क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/ प्राचार्य/प्राचार्या।
12.	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक /कर्मचारी पाल्य (मान्यता प्राप्त विद्यालय में स्थाई रुप से पूर्ण वेतनमान पर होना अनिवार्य है।	जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) /उप शिक्षा निदेशक /संयुक्त शिक्षा निदेशक अपर शिक्षा निदेशक /सहायक कमिश्नर /केन्द्रीय शिक्षा अधिकारी।

नोटः– (अ) शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारी के पाल्य के प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा निर्गत एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सही एवं विद्यालय के अभिलेखों के आधार पर है। प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी तथा प्रति हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी अपना पूरा नाम व पद का उल्लेख करें।

(ब)उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक एवं कृते करके प्रदत्त एवं प्रतिहताक्षरित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी वार्ड का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा। मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूर्ण वेतनमान तथा पूर्णकालिक शिक्षक होना आवश्यक है।

13. जिन अभ्यर्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से शास्त्री परीक्षा उर्त्तीर्ण की हो एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर अंग्रेजी विषय लिया हो, अथवा शास्त्री परीक्षा के किसी भी वर्ष में अंग्रेजी विषय लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे बी.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जायेंगे।
14. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.एड. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं।

15. जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उन्हें अन्य राज्य वर्ग में रखा जायेगा। परन्तु **उत्तराखण्ड निवासी ने यदि स्नातक उपाधि अन्य राज्यों के किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की है तो उत्तराखण्ड राज्य वर्ग में रखने सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।**

16. बी.एड. प्रवेश परीक्षा–2017 के लिये परीक्षा केन्द्र बीस शहरों अर्थात गोपेश्वर, गैरसैण, तलवाड़ी, कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनि, श्रीनगर, पौड़ी, वेदीखाल, जयहरीखाल, कोटद्वार, नैनीडाण्डा, टिहरी, सेंदुल,(केमर) उत्तरकाशी बड़कोट ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर (डाकपत्थर), रुड़की हरिद्वार में निर्धारित किये गये हैं। अभ्यर्थी को इनमें से किसी एक शहर का चयन कर आवेदन पत्र में चयनित शहर को ही अंकित करना है। **केन्द्र आवंटन के उपरान्त कोई भी केन्द्र परिवर्तन करना संम्भव नहीं होगा। अपरिहार्य कारणों से विश्वविद्यालय को केन्द्र परिवर्तन का अधिकार होगा।**

17. आवेदन पत्र (हार्ड कॉपी) पर संलग्न समस्त **शैक्षिक प्रमाण–पत्र की छाया प्रतियां स्वयं हस्ताक्षतिरत होनी अनिवार्य है** तभी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जायेगा। अधिभार अंकों के लिये प्रमाण–पत्रों के विवरणिका पर संलग्न हैं। **अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु स्थानान्तरण तथा प्रवजन प्रमाण –पत्र भी प्रवेश के समय लाना आवश्यक है अन्यथा प्रवेश देय नहीं होगा।**

18. बी.एड. कक्षा में प्रवेश के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र मे यह स्पष्ट अंकित किया जाये कि अभ्यर्थी बी.एड. प्रशिक्षण के लिए पूर्णतः स्वस्थ है। प्रवेश के बाद प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

19. बी.एड. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के लिये पूर्ण विवरण देने पर ही विश्वविद्यालय कार्यालय उत्तर दे सकेगा तथा अपेक्षित कार्यवाही की जा सकेगीं, पंजीकरण संख्या, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, समूह तथा वर्ग अवश्य लिखा जाय।

20. **वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जाएगां**
इस प्रकार दो समूह होंगे।
(1) कला एवं वाणिज्य (कला समूह) **(2) विज्ञान समूह**
(परन्तु एप्टीट्यूट टेस्ट कला, वाणिज्य, विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिये अलग–अलग होगा)
अभ्यर्थी केवल उसी समूह (group) को चुन सकता है जिस समूह (group) से उसने स्नातक की उपाधि उर्त्तीण की हो।

21. अभ्यर्थियों के निम्नलिखित वर्ग (category) है जो कि शासनादेश के अनुसार संशोधित किये गये हैं–

वर्ग (Category)	कोड	वर्ग (Category)	कोड
सामान्य	**Gen.**	विकलांग	**PWD**
अनुसूचित जाति	**SC.**	स्वतत्रंता संग्राम सेनानी के आश्रित	**F**
अनुसूचित जनजाति	**ST**	भूतपूर्व सैनिक (स्वयं अभ्यर्थी)	**Ex-s**
अन्य पिछड़ी जाति वर्ग	**OBC**		

विशेष :– अभ्यर्थी जिस वर्ग से सम्बन्धित है केवल उसी वर्ग को चुन सकता है। एक बार वर्ग (Category) को चुनने के उपरान्त अन्य किसी वर्ग में समायोजन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017
'' परीक्षा से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश''
(आवेदन –पत्र भरने से पूर्व अवश्य पढ़े)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय विश्विद्यालय) सत्र् 2017–2019 के पूर्णकालिक प्रवेश के लिए परीक्षा की तैयारी अधोलिखित निर्देश के अनुसार कीजिए।

1. बी.एड प्रवेश परीक्षा 2017 के अभ्यर्थियों की उपलब्धियों का निम्न प्रश्न –पत्रों में मापन होगा–

प्रथम प्रश्न–पत्र हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान।

द्वितीय प्रश्न–पत्र एप्टीट्यूट टेस्ट –कला अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट–विज्ञान।

नोटः– प्रश्न प्रत्र प्रथम में हिन्दी भाषा तथा समान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा तथा समान्य ज्ञान'' की परीक्षा देनी है। द्वितीय प्रश्न–पत्र में ''एप्टीट्यूट टेस्ट–कला अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट विज्ञान'' की परीक्षा देनी है।

2. प्रत्येक प्रश्न–पत्र को हल करने के लिए 3 घण्टे का समय दिया जायेगा।
3. दोनों प्रश्न– पत्रों की परीक्षा एक ही दिन में होगी। प्रथम प्रश्न–प्रत्र प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्न–पत्र सांय 2 बजे से 5 बजे तक होगा।
4. **परीक्षा पाठ्यक्रम :–**

प्रश्न पत्र	**कुल अंक**	**समय**
हिन्दी भाषा तथा सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान	200	3 घण्टे
एप्टीट्यूट टेस्ट–कला अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट–वाणिज्य अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट– विज्ञान	200	3 घण्टे
अंकों का योग	**400**	

5. प्रत्येक अभ्यर्थी को 400 अंकों की परीक्षा देनी होगी। विश्वविद्यालय परिसरों राजकीय महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित बी.एड. संस्थानों में बी.एड. कक्षा में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के अंकों की वरीयता (मैरिट) के आधार पर होगें।
6. प्रत्येक प्रश्न पत्र (पुस्तिका) के साथ उत्तर पत्रक (Answer sheet) पृथक से होगी।
7. दोनों प्रकार के प्रश्न–पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये जायेंगे। प्रश्नों के स्वरुप बहुविकल्पीय होगा।
8. प्रत्येक प्रश्न–पत्र में दो खण्ड होंगे। प्रथम खण्ड में प्रश्न तथा द्वितीय खण्ड में प्रश्नों के उत्तर के लिये चार विकल्प दिये जायेंगे। उनमें से एक सबसे सही अथवा सही उत्तर होगा। अभ्यर्थी को उत्तर के क्रम को काली स्याही से उत्तर–पत्रक पर अंकित गोले को भरना होगा।
9. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र हल करते समय जिस प्रश्न का उत्तर देना है, पहले उसके क्रमांक को ध्यान से पढ़े तथा उत्तर के लिये विकल्पों को पढ़कर सही अथवा सर्वोत्तम उत्तर के क्रमांक को उत्तर पत्रक के प्रश्न क्रमांक में अंकित गोले को काली स्याही से भरना है।

उदाहरण : प्रश्न 15– भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।

(A) डॉ राजेन्द्र प्रसाद (B) ज्ञानी जैल सिंह(C) डॉ जाकिर हुसैन (D) डॉ. संजीव रेड्डी

उपरोक्त में प्रश्न का क्रमांक 15 है तथा सही विकल्प क्रंमाक (A) है अभ्यर्थी को अपने उत्तर प्रपत्र (Answer sheet)

प्रश्न सं0 15 के समाने वाले गोले को काली स्याही से भरना है।

उत्तर का उदाहरण

सही उत्तर **गलत उत्तर**

10. **प्रथम प्रश्न पत्र हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान का होगा अर्थात अभ्यर्थी को सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र–हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी का एक चयन करना है।**
11. हिन्दी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की पुस्तिका में पहले 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 100 प्रश्न हिन्दी भाषा के होंगें। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा एवं सामान्य ज्ञान की प्रश्न पुस्तिका में पहले 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के तथा दूसरे 100 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होंगे।
12. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह प्रश्न–पत्र 200 अंकों का होगा।
13. हिन्दी भाषा या अंग्रेजी भाषा परीक्षा में स्नातक स्तर की सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी के स्तर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।
14. सामान्य ज्ञान के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से संबंधित होंगे।
    1 भारतीय इतिहास 2 भोगोलिक विशेषताएं 3 भारतीय संस्कृति 4 वैज्ञानिक तथ्य 5 राजनीति विज्ञान 6 तकनीकी उपकरण 7 वर्तमान घटनायें 8 समाजिक तथ्य 9 खेलकूद
15. हिन्दी भाषा के लिये प्रश्नों का उदाहरण –
    प्रश्न – जल का प्रर्यायवाची है–
    (A) अनिल (B) समीर (C) सलिल (D) अनल
    सही उत्तर सलिल जिसका क्रमांक (C) उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।
16. अंग्रेजी भाषा के लिये प्रश्नों का उदाहरण –
    Questions – Altenmative of Word Answar is
    (A) Result (B) Service (C) Calculate (D) Reply
    सही उत्तर–Reply जिसका क्रमांक (D) उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।
17. सामान्य ज्ञान के लिये प्रश्नों के उदाहरण –
    प्रश्न – भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है।
    (A) उत्तर प्रदेश (B) केरल (C) गुजरात (D) पंजाब
    सही उत्तर केरल जिसका क्रमांक (B) उत्तर पत्रक पर अंकित किया जायेगा।
18. **द्वितीय प्रश्न –पत्र एप्टीट्यूट टेस्ट का होगा, एप्टीट्यूट टेस्ट तीन प्रकार का होगा।**
    1 एप्टीट्यूट टेस्ट –कला 2. एप्टीट्यूट टेस्ट –वाणिज्य 3. एप्टीट्यूट टेस्ट –विज्ञान।
    प्रत्येक एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रश्न– पत्र अलग–अलग होगें। अभ्यर्थी को तीनों में से जिससे उसने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसमें से किसी एक टेस्ट का चयन करना है।
19. एप्टीट्यूट टेस्ट की प्रश्न पुस्तिका में 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह प्रश्न–पत्र 200 अंकों का होगा
20. **एप्टीट्यूट टेस्ट कला में** 100 प्रश्न समान्य बुद्धि परीक्षा तथा 100 प्रश्न कला संकाय के विषयों इतिहास, भूगोल राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होंगें।

21. **एप्टीट्यूट टेस्ट –वाणिज्य** में 100 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षा तथा 100 प्रश्न वाणिज्य संकाय के विषयों से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होंगे।

22. **एप्टीट्यूट टेस्ट** विज्ञान में 100 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षा, तथा 100 प्रश्न संकाये के विषयों – भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि से सम्बन्धित समान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होगें।

23. सभी विषय कला, वाणिज्य तथा विज्ञान की पाठ्यवस्तु हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्धारा अनुमोदित स्नातक स्तरीय समान्य ज्ञान एवं अभिरुचि पर आधारित होगें।

24. **एप्टीट्यूट टेस्ट के प्रश्नों के उदाहरणः–**

प्रश्न– रमेश कृष्ण से अधिक बुद्विमान है। प्रमोद उमेश से कम बुद्विमान है। उमेश कृष्ण से अधिक बुद्विमान है। इस प्रकार सबसे अधिक बुद्विमान है। – (A) उमेश (B) रमेश (C) प्रमोद (D) कृष्ण

सही उत्तर – रमेश, जिसका क्रमांक (B) उत्तर –पत्रक पर अंकित कीजिए जायेगा।

प्रश्नः– उत्तर प्रदेश का सबसे औघोगिक नगर है – (A) गाजियाबाद (B) नोयडा (C) कानपुर (D) आगरा

सही उत्तर –कानपुर, जिसका क्रमांक (C) उत्तर –पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– प्रश्न के प्रथम खण्ड में दो शब्दों का विशेष सम्बन्ध है द्वितीय खण्ड में दिये हुए शब्दों के लिये समान सम्बन्ध का चयन कर उसके क्रमांक को अंकित कीजिए। लकडी, पानी, गुब्बारा।

(A) आकाश (B) रबड़ (C) वायु (D) उपरोक्त सभी।

सही उत्तर – वायु का क्रमांक (C) है उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– एक रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है।

(A)स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (B) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (C) भारत सरकार (D) उपरोक्त सभी।

सही उत्तर – भारत सरकार का क्रमांक (C) उत्तर –पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्नः– प्रश्न की संख्यायें किसी विशेष क्रम में र,खी गयी हैं, उसी क्रम की श्रेणी को अगली संख्या का क्रमांक अंकित किजिये । श्रेणी 1.4,16,25,–

(A) 38 (B) 26 (C) 36 (D) 32

सही उत्तर –36 जिसका क्रमांक (C) उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

प्रश्न :–पत्ती के कार्य हैं–

(A) श्वास लेना (B) पानी को वाष्प बनाने (C) पौधों के लिये भोजन तैयार करना (D) उपरोक्त सभी।

सही उत्तर – उपरोक्त सभी कार्य करना है का क्रमांक (D) उत्तर–पत्रक पर अंकित किया जायेगा।

कोर्डिनेटर
हे.न.ब.ग.वि.वि श्रीनगर गढ़वाल

उत्तर प्रदेश सरकार (यथा परिवर्तित उत्तराखण्ड राज्य)

शिक्षा अनुभाग II

संख्या – 451 XV-II 37.8(58)/79

लखनऊ : दिनांक 5 मई 1987 में यथा संशोधित

संख्या 1253 / सत्तर 2–97 –3(58)79 लखनऊः दिनांक 4 जुलाई, 1997

(यदि उत्तराखण्ड सरकार का संशोधित शासनादेश निर्गत होता है तो उसके अनुसार होगा)

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम यथा संशोधन) अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधन और पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम सं. 10 सन् 1973) की धारा 28 की उपधारा (5) के शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के सम्बद्व या सहयुक्त का घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के आदेश 1987 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश देते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के संबंद्व या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (तृतीय संशोधन) आदेश 1997।

संक्षितप्त नाम :(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के संबंद्व या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये प्रारम्भ शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (तृतीय संशोधन) आदेश,1997 कहा जायेगा।

:(2) यह शिक्षा से प्रवृत्त होगा।

परिभाषायें–

इन आदेशों में जब तक प्रसंग अन्यथा अपेक्षित न हो–

1. अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनःअधिनियम या संशोधन) अधिनियम 1974 द्वारा यथा संशोधित तथा पुनः अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से है।
2. महाविद्यालय का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय से है जो अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यथाविधि सम्बद्व या सहयुक्त या घटक हो।
3. शिक्षण पाठ्यक्रम का तात्पर्य ऐसे शिक्षण पाठ्यक्रम से है जिसकी व्यवस्था किसी महाविद्यालय में छात्रों को बी.एड. या यथा स्थिति एम.एड उपाधि की परीक्षाओं में जो उस महाविद्यालय को सम्बद्व या सहयुक्त घटक करने वाले विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाए, सम्मिलित किये जाने के प्रयोजन से की गई हो।
4. विश्वविद्यालय से तात्पर्य उस विश्वविद्यालय से है जिससे वह महाविद्यालय सम्बद्व या सहयुक्त या घटक हो जहाँ शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रार्थित या प्रदत्त हो।

अध्याय–2
बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश

पैरा 3 का संशोधन 2 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्व या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवैश आदेश 1987 में जिसे आगे उक्त आदेश कहा गया है, पैरा 3 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप पैरा(1)के स्थान पर स्तम्भ (2) में दिया गया उप पैरा रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ –1	स्तम्भ –2
विधमान उप पैरा	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम 3.2 अर्हता के अन्तर्गत बी.एड कक्षा में प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् हैः–
बी.एड. कक्षाओं में किसी अभ्यर्थी के प्रवेश के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हता विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि होगी	बी.एड. कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं विकलांग से सम्बंधित अभ्यर्थियों के मामले में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा इसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक हे, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 44.9 प्रतिशत को 45 प्रतिशत नहीं माना जायेगा। इसी प्रकार अन्य सभी वर्ग के इसक समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशित अंको साथ उर्त्तीर्ण होना अनिवार्य है, परन्तु इस नियम के अन्तर्गत 49.9 प्रतिशत को 50 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।
स्तम्भ –1	**स्तम्भ 2**
विद्यमान पैरा	**एतद्दारा प्रतिस्थापित पैरा**
1.किसी महाविद्यालय में प्रवैश के लिये छात्रों की अधिकतम संख्या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विहित की जायेगी और किसी व्यक्ति को किसी दशा में ऐसी संख्या के अतिरिक्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा। छात्रों की अधिकतम संख्या विहित करते समय कुलपति सम्बन्धित महाविद्यालय में बी.एड. प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध शिक्षकों की संख्या पर ध्यान देंगे ताकि छात्र अनुपात 1:15 बना रहे।	किसी महाविद्यालय में प्रवेश के लिये छात्रों की अधिकतम संख्या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विहित की जायेगी और किसी व्यक्ति को किसी दशा में ऐसी संख्या के अतिरिक्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा। छात्रों की अधिकतम संख्या विहित करते समय कुलपति सम्बन्धित महाविद्यालय में बी.एड. प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध शिक्षकों की संख्या पर ध्यान देंगे ताकि शिक्षक छात्र अनुपात 1:10 बना रहे।
(ए)निम्नांकित शर्तो के अधीन बी.एड प्रशिक्षण हेतु विज्ञान स्नाताकं की सीटें कुलपति द्वारा बी.एड. विभाग में उपलब्ध विज्ञान अध्यापकों की संख्या के आधार पर विहित की जायेगी। जिससे शिक्षक छात्र का अनुपात 1:15 बना रहे। कालेज में विज्ञान स्तर के बी.एस.सी.– कक्षाएं संचालित हो। अथवा बी.एड.विभाग में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध हो अथवा ऐस महाविद्यालय के साथ प्रशिक्षण हेतु सम्बद्व संस्था में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हो।	(ए)निम्नांकित शर्तो के अधीन बी.एड प्रशिक्षण हेतु विज्ञान स्नाताकं की सीटें कुलपति द्वारा बी.एड. विभाग में उपलब्ध विज्ञान अध्यापकों की संख्या के आधार पर विहित की जायेगी। जिससे शिक्षक छात्र का अनुपात 1:10बना रहे। कालेज में विज्ञान स्तर के बी.एसी.– कक्षाएं संचालित हो। अथवा बी.एड.विभाग में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान प्रयोगशाला उपलब्ध हो की मान्यता प्राप्त हो। अथवा ऐस महाविद्यालय के साथ प्रशिक्षण हेतु सम्बद्व संस्था में हाईस्कूल स्तर की विज्ञान कक्षाओं की मान्यता प्राप्त हो।

सीटों का आरक्षण

1. विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों (श्रीनगर /टिहरी/पौड़ी) में बी.एड. कक्षा में प्रवेश के लिये सीटों का आरक्षण उस परिसर में सीटों की कुल संख्या में क्रमशः अनुसूचित जाति 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 7.5 प्रतिशत,अन्य पिछड़ा वर्ग 27 प्रतिशत की सीमा तक किया जायेगा।
2. उत्तराखण्ड प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या – 1144/कार्मिक– 2–2001 53(1)/2001 देहरादून दिनांक 18 जुलाई 2001 के अनुसार सूची में बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश के लिये स्थानों का आरक्षण उस महाविद्यालय में सीटों की कुल सख्या में क्रमशः अनुसूचित जाति–19 अनुसूचित जनजाति –4, अन्य पिछड़ा वर्ग–14 की सीमा तक किया जायेगा, इसके अतिरिक्त शासन द्वारा महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों को निम्नानुसार हॉरिजेन्टल आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

1.	महिलायें (Women)	30%
2.	स्वयं भूतपूर्व सैनिक (Self Ex- soldier)	05%
3.	विकलांग व्यक्ति (PWD)	03%
4.	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित (Freedom Fighter)	02%

जो व्यक्ति /महिला जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी श्रेणी में हॉरिजन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा, परन्तु जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी एवं विकलाग अभ्यर्थी प्रवेश के लिये पर्याप्त संख्या में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों वहां ऐसे स्थान जो उनके लिये आरक्षित हों और भरे न गये हो, सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे। उत्तराखण्ड शासन के आरक्षण सम्बन्धी संशेधित शासनादेश के अनुरुप ही आरक्षण देय होगा।

टिप्पणी – विकलांग अभ्यर्थी को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वह विकलांग श्रेणी में आते हुए भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसे बच्चों में फैलने या उनके कक्षा में शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो।

1. प्रवेश के लिये आवेदन :

1. प्रत्येक अभ्यर्थियों को बी.एड. कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र में विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिये आगे उपबन्धित रीति से करेगा। प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन की अन्तिम तिथि सामान्यतः मई अथवा जून मास में ऐसी तिथि होगी जो विश्वविद्यालय विहित करें।
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट से भेजा जायेगा।

2. प्रवेश परीक्षा का आयोजनः

1. बी.एड. कक्षा के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रत्येक विश्वविद्यालय निजी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। परन्तु यह परीक्षा समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा एक ही तिथि में आयोजित की जायेगी। तिथि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2. निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा लिया जायेगा।

परीक्षा पाठ्यक्रम एवं अर्हता अंक

1. प्रवेश परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होगें।

परीक्षा	प्रश्न –पत्र का नाम	कुल अंक	समय
प्रथम प्रश्न – पत्र	हिन्दी भाषा तथा समान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी भाषा तथा समान्य ज्ञान	200	3घण्टे
द्वितीय प्रश्न –पत्र	एप्टीट्यूट टेस्ट –कला अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट– वाणिज्य अथवा एप्टीट्यूट टेस्ट –विज्ञान''	200	3घण्टे

2. बी.एड. प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उच्च वरीयता (मैरिट) के अभ्यर्थियों को प्रवेश पहले देय होगा।
3. प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। केन्द्रों की संख्या न्यूनतम रखने का प्रयास किया जायेगा और परीक्षा केन्द्र उन्हीं संस्थाओं को बनाया जायेगा, जिनकी स्वच्छ परीक्षा व्यवस्था हेतु अच्छी ख्याति रही हो।
4. **अधिभार अंकों का आवंटन –**
   निम्नलिखित श्रेणी में किसी एक में आने वाले अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करने पर जैसा कि विश्वविद्यालय निर्दिष्ट करें। प्रत्येक के सम्मुख अंकित अतिरिक्त अंक आवंटित किये जायेंगे, किन्तु उसका कुल योग 25 अंक से अधिक नहीं होगा।

(क) राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को।

1. **इण्डीविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा**
   - प्रथम स्थान पाने पर 15 अंक
   - द्वितीय स्थान पाने पर 10
   - तृतीय स्थान पाने पर 05 अंक
2. **टीम आइटम मेंः–**
   - सर्वविजेता (चैम्पियन) टीम सदस्य होने पर 15 अंक
   - उपविजेता (रनर्स अप)टीम सदस्य होने पर 10 अंक
   - प्रतियोगिता टीम का सदस्य होने पर 05 अंक

नोट

1. **उपयुर्क्त मद संख्या 1,2 एवं 3 के अन्तर्गत केवल एक ही आइटम का लाभ देय होगा, अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम अथवा आइटम में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम /आइटम का लाभ देय होगा।**
2. **राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रसंग में शासन के खेलकूद विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**
3. **निम्नलिखित मदो मे से केवल एक का लाभ देय होगा।**

(ख) नेशनल केडिट कोर में सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी–2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को

15 अंक या नेशनल केडिट कोर में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष तथा महिला अभ्यर्थी तथा जी–1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को – 10 अंक या राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को–5 अंक या राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घंटे की सेवा एवं विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्रूर्थी को –(स्नातक कक्षा में द्वितीय वर्ष) 10 अंक या

- राष्ट्रीय सेवा योजना में सी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को – 15 अंक
- राष्ट्रीय सेवा योजना में बी प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थी को – 10 अंक
- स्काउट्स एवं गाइड्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 15 अंक या

- स्काउट्स एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को – 10 अंक या
- स्काउट्स एवं गाइड्स का धुव्रपद या गुरुपद प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को – 05 अंक

(ग) स्वतत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री /पुत्र का पुत्र /अविवाहित पुत्री – 15 अंक

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवानिवृत प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र/पुत्री, पत्नी के रुप में संबंधित हो– 15 अंक

(ड) ऐसे अभ्यर्थी जो पुलिस या पी.ए.सी. या बी.एस.एफ या एस.एस बी, या आई.टी.बी.पी. या सी.आर.पी.एफ. या होमगार्ड, सेवारत हो या ऐसे कर्मचारी का पुत्र/पुत्री /पति /पत्नी के रुप में संबंधित हो जो कार्यरत या सेवा निवृत, अपंग या सेवारत रहते हुए मृत हो गया हो। – 15 अंक

(च) ऐसे महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो ऐसे अभ्यर्थी को कानूनी प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) दाखिल करने होंगे 15 अंक

(छ)मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के पूर्णकालिक, नियमित एवं वैतनिक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री पति /पत्नी को ही अंक देय होंगे (वित्त विहीन –मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों को अंक देये नहीं होंगे 15 अंक

नोट –**1** उपयुक्त (छ) के लिये प्रमाण–पत्र केवल उच्च शिक्षा अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी/ अपर जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का ही मान्य होगा।

2. यदि किसी अभ्यथी को उपर्युक्त क से छः तक उल्लेखित मदों 25 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो उस दशा में अधिकतम 25 अंक ही श्रेष्ठता सूची में जोड़े जायेंगे।
3. **स्वयं अभ्यर्थी या माता/पिता के एक ही विभाग में कार्यरत होने पर केवल एक ही व्यक्ति के प्रमाण–पत्र के आधार पर अधिभार अंक देय होंगे। अधिकृत एवं कृते अधिकारी द्वारा प्रदत्त अथवा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगें। एसे प्रमाण –पत्रों में अधिभार अंक देय नहीं होंगे।**
4. **<u>श्रेष्ठता सूची तैयार करना ।</u>**

1) प्रवेश परीक्षा में अंक तथा विगत पैरा 04 के अन्तर्गत अधिभार अंक (जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी) को जोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित स्थानों के लिए पृथक–पृथक सूचियों तैयार की जायेगी।

2) यदि प्रवेश परीक्षा तथा पैरा 04 में अनुमन्य अधिभार अंक के आधार पर दो या दो से अधिक छात्रों के अंक समान होते हैं, तो उसी विश्वविद्यालय अथवा उससे सम्बद्व/सहयुक्त/संघटक महाविद्यालय के छात्रों को वरीयता दी जायेगी। यदि उपर्युक्त व्यवस्था के उपरांत भी अंक समान आते हैं तो आयु में ज्येष्ठ को वरीयता दी जायेगी।

3) वरीष्ठता सूची में यदि किसी अभ्यर्थी के आचरण के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी गई हो अथवा किसी के विरुद्ध अपराधिक कानूनी कार्यवाही चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा अपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुसूचित साधन प्रयोग करने के कारण दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये निष्काषित किया गया हो ऐसे अभ्यर्थी का सूची में नाम होते हुए भी प्रवेश न देने का अधिकार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य /प्राचार्या का होगा। जिसके लिये उन्हें विश्वविद्यालय से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5. **<u>वांछित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विकल्प :–</u>**

1. **आवेदन– पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी वरीयता क्रम में तीन महाविद्यालयों के नाम इंगित कर देगा। यदि मेरिट सूची के अनुसार उसके द्वारा इंगित महाविद्यालय में छात्र का प्रवेश संभव न हो तो विश्वविद्यालय उसे किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश की सुविधा देने के लिये स्वतंत्र नहीं होगा।**

2. पैरा 05 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की मेरिट सूची तैयार की जायेगी। जिसमें छात्र के द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक तथा पैरा 04 के अन्तर्गत अनुमन्य अंक का विवरण सहित दिया जाना आवश्यक होगा।
3. श्रेष्ठता सूची के आधार पर विश्वविद्यालय प्रत्येक महाविद्यालयों के लिये प्रवेश सूची तैयार कर सूची में सम्मिलित हों, को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेगा।
4. योग्यता सूची विश्वविद्यालय द्वारा सार्वाधिक प्रचलित प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा स्पीड पोस्ट डाक से सूचना भेजने की तिथि से 21 दिनों के भीतर छात्रों को आंवटित विश्वविद्यालय परिसरों में उपस्थित होकर प्रवेश ले लेना चाहिए। इस अवधि के उपरान्त प्रवेश हेतु उसका कोई हक नहीं रहेगा, और उसका अधिकार (CLAIM) स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

प्रवेश – :

1) प्रवेश से पूर्व संबधित कालेज के प्राचार्य/प्राचार्या छात्रों के मूल प्रमाण–पत्रों की जांच करने के उपरान्त ही उन्हें प्रवेश देंगें।
2) अस्थाई प्रमाण पत्र (प्रोविजनल) विशेषकर पैरा– 04 के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण –पत्र के लिये मान्य नहीं होंगे।
3) किसी भी छात्र को अन्तिम रुप में प्रवेश वर्जित करने से पूर्व प्राचार्य द्वारा कुलपति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में सूची में तैयार करने के साथ एक प्रतीक्षा सूची तैयार करना आवश्यक होगा। यदि कक्षायें प्रारम्भ होने से एक मास के भीतर कोई स्थान रिक्त हो जाता है। तो उनकी पूर्ति प्रतिक्षा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से की जायेगी। रिक्त सीटों पर प्रवेशार्थियों एवं महाविद्यालयों की सूचना भेजने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
5) चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। जिससे इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह अभ्यर्थी हकलाता नहीं है, और कान, आँख या किसी अन्य बीमारी के कारण अध्यापक होने के अयोग्य नहीं है।

आज्ञा से
प्रमुख सचिव एवं सचिव शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ,

नोट :– यदि उत्तराखण्ड शासन से प्रवेश सम्बन्धी कोई नया शासनादेश निर्गत होता है तो उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।